कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन,सिविल लाइन्स इलाहाबाद।

फा०सं० 58-59/62/80G(5)(vi)/तक०/इला०/2011-12 दिनांक 26-09-2011.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन आदेश
आयोम वेलफेयर सोसायटी (PAN- AACTA1781E)
129, सिविल लाइन्स, फतेहपुर,

उपर्युक्त मामले में दिनांक 25-03-2011 के आवेदन के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट/संस्था / फंड को दिया गया संदाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 80G(5)(vi) के अन्तर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गयी सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के पक्ष में छूट के योग्य होगा।

यह कर मुक्ति प्रमाण पत्र वि०वर्ष 2010-11. (नि०वर्ष 2011-12) से प्रदान किया जाता है।

sd/-
(डी० राय चौधरी)
आयकर आयुक्त,
इलाहाबाद

नोट:-

1- दानदाताओं को जारी की गयी रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रमाण पत्र वि०वर्ष 2010-11 (नि०वर्ष 2011-12) से प्रदान किया जाता है।

2- इस मान्यता प्रमाण पत्र से ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वतः अधिकार नहीं प्राप्त हो जायेगा। क्या निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अन्तर्गत पूर्त (चैरिटेबल) है और क्या धारा 11,12,12A और 13 में दी गयी शर्तें पूरी होती है, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी अलग से इसकी जांच करेग।

3- जहां न्यास/संस्था को व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ से कोई आय होती है तो उसे दानदाता को इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि दान से प्राप्त राशि को व्यवसाय में नही लगाया गया है तथा ऐसे व्यवसाय के रिकार्ड के लिए अलग से पुस्तकें बनायी गयी हैं।

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. आयोम वेलफेयर सोसायटी, 129, सिविल लाइन्स, फतेहपुर,
2. आयकर अपर आयुक्त,रेन्ज-I/II इलाहाबाद एवं रेन्ज-III मिर्जापुर।
3. निर्धारण अधिकारी।

For AAYOM Welfare Society
Secretary/ Treasurer

(के०एन०सोनकर)
आयकर सहायक आयुक्त(मु०)
कृते आयकर आयुक्त,इलाहाबाद।